संजय किशन कौल, मुख्य न्यायाधीश और &
अरुण पल्ली, जे. के सामने

इंद्रजीत सिंह और अन्य — ***याचिकाकर्ता***
बनाम
हरियाणा राज्य और अन्य — ***उत्तरदाताओं***
2007 की सीडब्ल्यूपी नंबर 3705
18 फरवरी, 2014

हरियाणा नगर अधिनियम, 1973 - एस.एस. 2ए, 3ए, 4, 5, 6, 8, 9 और 12 - हरियाणा नगर चुनाव नियम, 1978 - आरएल 19 (7) - हरियाणा वार्ड नियमों की नगरपालिका डी-सीमा, 1977 - का संविधान भारत, 1950 - कला. 243U - नगरपालिका को खत्म करने की शक्ति- याचिकाकर्ता अधिसूचना की पुष्टि की जिसे हरियाणा सरकार ने समाप्त कर दिया नगर समिति, साधौरा यू/ एस8 (1) हरियाणा नगर अधिनियम - याचिकाकर्ताओं ने कहा कि नगर पालिका का पालन किए बिना समाप्त कर दिया गया था ऑडी ट्रांसफॉर्मम पार्टम के सिद्धांतों के लिए - हेल्ड, कि धारा 3 के विपरीत 6 से, धारा 8 के प्रावधान किसी भी नोटिस, सुनवाई के अवसर या स्थानीय क्षेत्र के निवासियों को आपत्ति दर्ज करने के अधिकार की परिकल्पना नहीं करते हैं एक नगर पालिका को समाप्त करने की अधिसूचना जारी होने से पहले - आगे, अनुच्छेद 243U स्थानीय निवासियों के लिए इस तरह के किसी भी अधिकार का विस्तार नहीं करता है नगर पालिका के विघटन से पहले क्षेत्र - निवासियों की इच्छा और क्षेत्र के पंजीकृत मतदाताओं को राज्य सरकार द्वारा संज्ञान लिया गया था और इसके बाद की अधिसूचना को समाप्त करने से पहले विचार किया गया नगर पालिका और पुनर्गठन ग्राम पंचायत - राज्य की कार्रवाई सरकार, अपनी संपूर्णता में, वैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप थी और प्रक्रिया.

हेल्ड, एक नगर पालिका को खत्म करने के लिए, वह सब जो राज्य है सरकार को करने की आवश्यकता है, उक्त के तहत एक अधिसूचना जारी करना है प्रावधान. *पूर्व facie,* धारा 8 के प्रावधान किसी की परिकल्पना नहीं करते हैं नोटिस, सुनवाई का अवसर या आपत्ति दर्ज करने का अधिकार एक नगर पालिका को खत्म करने की अधिसूचना से पहले स्थानीय क्षेत्र के निवासी जारी किया गया है. हालांकि, इस तरह के अधिकार को विधिवत स्वीकार किया जाता है एक अच्छी तरह से कल्पना करके निवासियों को मान्यता और धारा 3, 4, 5 और 6 के तहत व्यापक प्रक्रिया. हालांकि, ऐसे एक अधिकार और प्रक्रिया धारा 8 में इसकी अनुपस्थिति से विशिष्ट है 1973 अधिनियम.

आगे आयोजित, वास्तव में, यह एक सचेत विधायी निर्णय द्वारा है इस तरह के अधिकार को धारा 8 के तहत स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया गया है.

सुनवाई की प्रक्रियात्मक आवश्यकता के अभ्यास में निहित नहीं है विधायी शक्ति जब तक कि ऐसा अधिकार या सुनवाई स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं की गई थी.

(पैरा 26)

आगे आयोजित, की धारा 8 के तहत प्रयोग करने योग्य शक्ति 1973 अधिनियम, सरकार द्वारा न्यायिक या व्यायाम नहीं है न्यायिक कार्य जहां कार्य की प्रकृति में शामिल है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत या प्रशासनिक कार्य के किसी भी मामले में किसी व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित करना. इसलिए, हम इस दृष्टिकोण के हैं धारा के तहत राज्य सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी करना धारा 3 के तहत घोषित किसी भी नगर पालिका को समाप्त करने के लिए 8 एक अधिनियम है संदर्भ में विधायी कार्यों के निर्वहन में चरित्र में विधायी अधिनियम के प्रावधानों की। इस प्रकार इसे सशर्त करार दिया जा सकता है विधान.

(पैरा 29)

आगे आयोजित, धारा 8 के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय 1973 के अधिनियम, के सिद्धांत *ऑडी फेरम पार्टम* या कोई अधिकार क्षेत्र के निवासियों द्वारा आपत्तियां दर्ज करने के लिए, न तो अनुमान लगाया जा सकता है आवश्यक निहितार्थ द्वारा और न ही निहित विधायी इरादे से.

(पैरा 35)

आगे आयोजित, यह केवल तब होता है जब लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित निकाय होता है जैसे कि नगर परिषद को भंग कर दिया जाता है, का एक उचित अवसर सुनवाई को उक्त विघटन से पहले होना चाहिए. एक और गहरा विश्लेषण समग्र रूप से संवैधानिक प्रावधान भी उक्त का समर्थन करते हैं परिप्रेक्ष्य.

(पैरा 38)

आगे आयोजित, आम चुनाव को आयोजित किया जाना था 2007/02/03. हालांकि, इससे पहले कि उक्त चुनाव वास्तव में हो सकते हैं जगह, चुनौती के तहत अधिसूचना दिनांक 28.02.2007 सरकार ने नगर समिति, साधौरा को समाप्त कर दिया. फलस्वरूप एक सम तिथि की सूचना की सूचना यानी. 28.02.2007, राज्य चुनाव आयुक्त, हरियाणा द्वारा जारी, नगर समिति के सभी वार्डों का चुनाव कार्यक्रम, सदौरा रद्द कर दिया गया था और यह था घोषित किया गया कि मतदान 02.03.2007 को नहीं होगा. के साथ कोई अधिसूचना नहीं चार निर्वाचित निर्विरोध उम्मीदवारों के संबंध में कभी जारी नहीं किया गया था और न ही चुनाव प्रक्रिया पूरी हुई, शेष के चुनाव के रूप में नौ वार्ड 02.03.2007 को आयोजित किए जाने थे. यह स्थिति होने के नाते, नगर पालिका को सुनने का अवसर देने का कोई अवसर नहीं था, यह अनुच्छेद 243-यू के तहत चिंतन

और परिकल्पित निकाय है संविधान का. तत्काल मामले में, निवासियों के अधिकारों को दर्ज करने के लिए 1973 अधिनियम की धारा 8 के तहत आपत्तियां विचाराधीन हैं. अनुच्छेद 243यू स्थानीय क्षेत्र के निवासियों के लिए इस तरह के किसी भी अधिकार का विस्तार नहीं करता है नगर पालिका के विघटन से पहले.

(पैरा 39)

आगे आयोजित, पूरी कार्रवाई और व्यायाम जो था राज्य सरकार द्वारा ग्राम को फिर से स्थापित करना था एक नगर पालिका के स्थान पर पंचायत, साधौरा. को खत्म करना नगर पालिका साधौरा सिर्फ परिणामी थी| इसे फिर से शुरू करने की जरूरत है कि मन, इरादे और निवासियों और पंजीकृत की इच्छा क्षेत्र के मतदाताओं को राज्य सरकार द्वारा संज्ञान लिया गया था और इसके बाद अधिसूचना को समाप्त करने से पहले विचार किया गया ग्राम पंचायत को पुन: व्यवस्थित और पुनर्गठित करना. राज्य सरकार की यह कार्रवाई, संपूर्णता में, वैधानिक प्रक्रिया के साथ तालमेल में थी और प्रक्रिया.

(पैरा 45)

वी.के. जैन, रवि कुमार कादियान के वरिष्ठ वकील, एडवोकेट, *याचिकाकर्ताओं के लिए.*

उत्तरदाताओं नंबर 1 से 4 के लिए अज ऐ गुप्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा.

प्रतिवादी संख्या के लिए कोई नहीं. 5.

महावीर संधू, उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता संख्या 6 से 136.

अरुण पालि, जे.

(१) इस फैसले के तहत, हम 2007 की सिविल रिट याचिका संख्या 3705 और तीन अन्य संबंधित याचिकाओं (2006 की सीडब्ल्यूपी संख्या 17436 और 2007 की सीडब्ल्यूपी संख्या 2356 और 5795) पर फैसला करेंगे। सभी चार याचिकाओं में शामिल तथ्य समान होने और विचार के लिए उठने वाला मुद्दा सामान्य होने के कारण, तथ्यों को 2007 के सीडब्ल्यूपी नंबर 3705 से निकाला जा रहा है।.

(2) याचिकाकर्ताओं ने अधिसूचना दिनांक 28.02.2007 (अनुलग्नक पी -10) पर आपत्ति जताई है जो हरियाणा सरकार, शहरी विकास विभाग द्वारा जारी किया गया है, जिसके द्वारा, हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 8 उप-धारा 1 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए (संक्षिप्तता और सुविधा के लिए, "1973 अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया जाएगा), नगरपालिका समिति, साढौरा को समाप्त कर दिया गया और हरियाणा नगरपालिका चुनाव के अधिनियम 1973 की धारा 3ए और नियम 19(7) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य चुनाव आयुक्त, हरियाणा द्वारा जारी सम तिथि (अनुलग्नक पी-9) की अधिसूचना को रद्द कर दिया गया|

नियम, 1978, जिसके तहत, नगरपालिका समिति, साढौरा, जिला यमुनानगर के सभी वार्डों के लिए चुनाव कार्यक्रम रद्द कर दिया गया और, परिणामस्वरूप, चुनाव। तदनुसार, नगरपालिका समिति, साढौरा को पुनर्जीवित करने और संविधान के अनुच्छेद 246 (यू) और 1973 अधिनियम की धारा 12 के अनुसार चुनाव कराने के लिए उत्तरदाताओं के खिलाफ परमादेश की प्रकृति में एक रिट की मांग की गई थी।

(3) उस पृष्ठभूमि का संक्षिप्त विवरण, जिसने पार्टियों को वर्तमान स्थिति तक पहुँचाया है, क्रम में होगा। का संक्षिप्त वर्णन, जिसने नेतृत्व किया है वर्तमान चरण के पक्ष, क्रम में होंगे.

(4) याचिकाकर्ताओं ने खुद को हरियाणा राज्य के सधौरा, जिला यमुनानगर का निवासी होने का दावा किया। यह कहा गया था कि याचिकाकर्ता नंबर 1 को वार्ड नंबर 5 से नगर आयुक्त के रूप में निर्विरोध चुना गया था, और अन्य याचिकाकर्ता विभिन्न वार्डों से नगर आयुक्त के रूप में चुने जाने के लिए प्रतियोगी थे।

(5) यह कहा जाता है कि नगरपालिका समिति, साढौरा का गठन ब्रिटिश सरकार के समय 22.08.1885 को नगरपालिका अधिनियम, 1884 के तहत किया गया था। सुविधाएं नगरपालिका समिति द्वारा प्रदान की जा रही थीं और 1973 अधिनियम की घोषणा के बाद, नगरपालिका समिति के कार्य उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नगरपालिका समिति और नगरपालिका सीमा के भीतर स्थानीय क्षेत्र को विनियमित किया गया था। म्यूनिसिपल कमेटी की कार्यप्रणाली को लेकर कभी कोई शिकायत नहीं आई है। हालाँकि, पहली बार, प्रतिवादी नंबर 1 (हरियाणा सरकार) द्वारा 28.01.2000 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त नोटिस के माध्यम से यह बताने की कोशिश की गई थी कि 1973 अधिनियम की धारा 2 ए के प्रावधानों के तहत नगर पालिकाओं का गठन करते समय, महत्वपूर्ण विचारों में से एक स्थानीय प्रशासन के लिए राजस्व उत्पन्न करना और क्षेत्र में नागरिक सुविधाएं प्रदान करना था। इसके अलावा, समिति के गठन के परिणामस्वरूप, कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है और अधिनियम की धारा 38 के प्रावधानों के अनुसार समिति के कर्मचारियों को वेतन आदि का भुगतान किया जाना है। हालाँकि, हरियाणा राज्य में नगर पालिकाएँ पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करने में विफल रहीं, और यहाँ तक कि कुछ नगर पालिकाएँ अपने कर्मचारियों को वेतन भी देने में सक्षम नहीं थीं और निदेशक को ऑडिट शुल्क जमा करने में भी असमर्थ थीं। निदेशक, स्थानीय निकाय को उसके ऋण आदि के लिए % शुल्क। इसलिए, हरियाणा सरकार ने राज्य में नगरपालिका समितियों को समाप्त करने का निर्णय लिया था। परिणामस्वरूप, हरियाणा सरकार, विकास एवं पंचायत विभाग ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 7 उपधारा (1) और धारा 8 उपधारा (1) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 05.05.2000 को एक अधिसूचना जारी की। (अनुलग्नक पी-1) और उक्त

अधिसूचना में दी गई अनुसूची के कॉलम नंबर 3 में उल्लिखित अनुसार भवानी खेड़ा, लोहारा, सिवानी........ रादौर और साढौरा के लिए एक-एक "सभा क्षेत्र" घोषित किया। और अनुसूची के कॉलम संख्या 1 और 2 में उल्लिखित ब्लॉक और जिलों के लिए उनके कॉलम संख्या 4 में उल्लिखित नामों के तहत ग्राम पंचायत की स्थापना की गई।

(6) नगरपालिका समिति के उन्मूलन के बाद, नगरपालिका समिति, छछरौली, रादौर और साढौरा को बहाल करने के लिए गांवों के सरपंचों, नगर आयुक्त और अन्य सम्मानित लोगों द्वारा कई अभ्यावेदन दिए गए थे। प्रयासों के परिणाम मिले, शहरी विकास विभाग, हरियाणा सरकार के वित्तीय आयुक्त और प्रधान सचिव द्वारा दिनांक 01.06.2005 (अनुलग्नक पी-3) का एक पत्र जारी किया गया, जिसके तहत सिंचाई मंत्री के सचिव; स्वास्थ्य मंत्री; और उद्योग मंत्री, हरियाणा को दिनांक 08.06.2005 को कैबिनेट उप-समिति की प्रस्तावित तीसरी बैठक के बारे में सूचित किया गया, जिसमें 15 समाप्त नगर पालिकाओं, सधौरा, रादौर और अन्य के पुनर्गठन के मामले पर चर्चा की जाएगी। उक्त पत्र की एक प्रति संबंधित विधायकों, पूर्व विधायकों को सूचित करने के निर्देश के साथ संबंधित उपायुक्तों को भी भेजी गई थी। विधायक, पूर्व. उक्त बैठक में उक्त ग्रामों के अध्यक्ष एवं वर्तमान सरपंच एवं गणमान्य नागरिक शामिल हों। हरियाणा राज्य में चुनाव वर्ष 2005 में हुए थे। साढौरा और रादौर गांवों के निवासियों ने उक्त गांवों में नगर पालिकाओं को बहाल करने के लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया था। नवंबर 2005 में सरकार की कैबिनेट ने नगरपालिका समितियों को बहाल करने का निर्णय लिया, इससे पहले उक्त उद्देश्य के लिए गठित समिति की एक रिपोर्ट आई थी, जिसने बहाली की सिफारिश की थी।

(7) इस संबंध में एक औपचारिक अधिसूचना, 28.03.2006 (अनुलग्नक पी-5) को जारी की गई थी, जिसके तहत, सरकार ने 1973 अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) और (6) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, और हरियाणा सरकार, शहरी विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 10.01.2006 के संदर्भ में, उक्त अधिसूचना में दी गई अनुसूची में उल्लिखित स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका समिति, साढौरा के नाम पर एक समिति घोषित किया गया।

(8) 1973 अधिनियम की धारा 12(2) के तहत, समिति के गठन की तारीख से एक वर्ष के भीतर चुनाव कराना आवश्यक है, परिणामस्वरूप, प्रतिवादी संख्या 2 ने वार्डों के परिसीमन की प्रक्रिया शुरू की और पत्र दिनांक 23.06.2006 के माध्यम से शुरू किया। (अनुलग्नक पी-6), संबंधित समितियों के प्रशासकों को संबोधित करते हुए, परिसीमन के उद्देश्य से अपेक्षित डेटा मांगा गया। प्रतिवादी संख्या 1, प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए, अधिसूचना दिनांक 27.07.2006 (अनुलग्नक पी-7) के माध्यम से,

धारा 9 और उपधारा (1), (2), (3) और (4) 1973 अधिनियम की धारा 10 के साथ पठित, हरियाणा नगरपालिका वार्ड परिसीमन नियम, 1977 के नियम 3 के उप-नियम (1) और (2) में उल्लिखित नगरपालिका समितियों के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या तय की गई है। उसमें शेड्यूल निर्धारित किया गया है। और एक अन्य अधिसूचना दिनांक 24.11.2006 (अनुलग्नक पी-8) द्वारा। अपने सदस्यों के चुनाव के उद्देश्य से, नगरपालिका समिति, साढौरा को 13 निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) में विभाजित किया जाना था, जिनमें से 3 निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) क्रमांक 6, 12 और 13 को अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित किया जाना था। जिसमें से वार्ड क्रमांक 12 अनुसूचित जाति महिला के लिए तथा वार्ड क्रमांक 3 व 7 महिलाओं के लिए आरक्षित होना था।

(10) चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और चुनाव 02.03.2007 को होना तय था। याचिकाकर्ताओं ने चुनाव लड़ने के लिए अलग-अलग वार्डों से नामांकन दाखिल किया था। रिटर्निंग अधिकारी, साढौरा ने अपने पत्र दिनांक 21.02.2007 द्वारा राज्य चुनाव आयुक्त (प्रतिवादी संख्या 5) को सूचित किया कि 20.02.2007 को नामांकन वापस लेने के बाद, श्रीमती। वार्ड नंबर 4 से नरिंदर कौर, स. इंद्रजीत सिंह (याचिकाकर्ता नंबर 1) वार्ड नंबर 5 से, श्री। चंद राम और श्री. राम दर्शन को क्रमशः वार्ड संख्या 7 और 10 से निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। शेष नौ वार्डों के लिए मतदान 02.03.2007 को निर्धारित किये गये थे। प्रचार 28.02.2007 को समाप्त हो गया था। आश्चर्यजनक रूप से, प्रतिवादी नंबर 1 ने 1973 अधिनियम की धारा 8 उप-धारा (1) के तहत दिनांक 28.02.2007 (अनुलग्नक पी -10) की एक अधिसूचना जारी की और बिना कोई कारण बताए नगरपालिका समिति, साढौरा को समाप्त कर दिया। तदनुसार, सभी संबंधितों को सूचना भेज दी गई थी। इस घटनाक्रम के मद्देनजर, राज्य चुनाव आयुक्त ने भी एक सम तिथि यानी 28.02.2007 (अनुलग्नक पी-9) की अधिसूचना जारी की और नगरपालिका समिति, साढौरा को समाप्त करने के संदर्भ में, सभी वार्डों के चुनाव कार्यक्रम को रद्द कर दिया। नगरपालिका समिति के एक और संकेत के साथ कि मतदान 02.03.2007 को नहीं होगा।

(11) इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं ने याचिका में दिए गए कई आधारों पर, एक सम तारीख यानी 28.02.2007, (अनुलग्नक पी-9 और पी-10) की दो अधिसूचनाओं के खिलाफ व्यथित होकर इस न्यायालय में याचिका दायर की। संक्षेप में, याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत मामला यह है कि ऑडी अल्टरम पार्टम के सिद्धांतों का पालन किए बिना नगरपालिका समिति, साढौरा को समाप्त करना अवैध, मनमाना और संवैधानिक जनादेश के खिलाफ था, इसलिए, नगरपालिका समिति को बहाल करने की आवश्यकता थी।

(12) याचिका में दिए गए मामले को आधिकारिक उत्तरदाताओं के साथ-साथ निजी उत्तरदाताओं संख्या 6 से 135 द्वारा अलग-अलग लिखित बयान दाखिल

करके विधिवत चुनौती दी गई थी। उत्तरदाताओं ने एक सुर में उनके द्वारा दायर लिखित बयानों में बताए गए कारणों के आधार पर याचिका को खारिज करने की प्रार्थना की।

(13) यह कि राज्य ने अपने लिखित बयान में बताया और स्पष्ट किया कि नगरपालिका समिति, साढौरा के गठन के बाद, अधिसूचना दिनांक 28.03.2006 के माध्यम से, साढौरा ग्राम पंचायत संघर्ष समिति, साढौरा (यमुनानगर) ने राज्य सरकार को एक विस्तृत प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया साढौरा पंचायत को नगर पालिका में परिवर्तित करने की उक्त अधिसूचना को वापस लेने हेतु। उक्त अभ्यावेदन पर उपायुक्त, यमुनानगर की रिपोर्ट/टिप्पणियां मांगी गई थीं। उपायुक्त ने खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, साढौरा (अनुलग्नक आर-1) की टिप्पणियां मांगने के बाद जनहित में गांव साढौरा में नगरपालिका समिति के स्थान पर ग्राम पंचायत के गठन की सिफारिश की। उक्त रिपोर्ट/टिप्पणियों पर विचार करने पर सरकार ने नगर पालिका सढौरा को समाप्त करने का निर्णय लिया। कहा गया है कि सरकार अधिनियम 1973 की धारा 8 उपधारा (1) के प्रावधानों के अनुसार आम जनता से आपत्ति मांगे बिना अधिसूचना जारी कर किसी भी नगर पालिका को समाप्त करने के लिए पूर्ण रूप से सशक्त है। यह भी दावा किया गया कि नगर पालिका को समाप्त करने का निर्णय विभिन्न संगठनों और जन प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद लिया गया था। इतना ही नहीं, साढौरा ग्राम पंचायत संघर्ष समिति, साढौरा (यमुनानगर) ने भी ग्राम पंचायत के पुनरुद्धार के लिए प्रार्थना की। इससे भी आगे कैबिनेट उपसमिति की बैठक के समय भी सधौरा के प्रतिनिधि ने नगर पालिका के पुनरुद्धार पर आपत्ति जताई थी। इसलिए राज्य सरकार का नगर पालिका को समाप्त करने का निर्णय उचित है, एक सचेत निर्णय था जो मतदाताओं की इच्छाओं के अनुरूप था।

(14) प्रतिवादी नंबर 5 यानी राज्य चुनाव आयुक्त, हरियाणा द्वारा दायर एक अलग लिखित बयान में कहा गया है कि यह राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका समिति को समाप्त करने वाली अधिसूचना दिनांक 28.02.2007 (अनुलग्नक पी -10) के अनुसार था। , उत्तरदाताओं संख्या 5 ने चुनाव कार्यक्रम और मतदान रद्द कर दिया। हालाँकि, यह दावा किया गया कि यद्यपि वार्ड संख्या 4, 5, 7 और 10 से नगर समिति के चार सदस्यों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया था, फिर भी कोई चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं हुई क्योंकि शेष नौ वार्डों के लिए चुनाव 02.03 को होना था। 2007. चूंकि बीच की अवधि में, प्रतिवादी नंबर 1 ने नगरपालिका समिति को समाप्त कर दिया, इन चार सदस्यों के संबंध में भी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई।

(13) निजी उत्तरदाताओं संख्या 6 से 135 ने अपने विस्तृत लिखित बयान में मामले के साथ-साथ याचिकाकर्ताओं द्वारा निर्धारित कारण का भी विरोध किया। संक्षेप में, यह बताया गया कि ग्राम पंचायत संघर्ष समिति साढौरा, निवासियों और पंजीकृत मतदाताओं द्वारा उस अधिसूचना को वापस लेने के लिए प्रार्थना की गई थी

जिसके तहत साढौरा पंचायत को नगरपालिका समिति में परिवर्तित किया गया था। इसके अनुसरण में, राज्य सरकार ने उपायुक्त से रिपोर्ट/टिप्पणियां मांगी, जिन्होंने जनहित में नगरपालिका समिति के स्थान पर ग्राम पंचायत के गठन की सिफारिश की। बड़ी संख्या में शहर के निवासियों ने सरकार से मुलाकात की और नगरपालिका समिति को खत्म करने के लिए अभ्यावेदन दिया। यह कहा गया था कि नगर समिति पिछले कई वर्षों से शहर के निवासियों को बुनियादी सुविधाएं और सुविधाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त धन नहीं जुटा पा रही थी और अपने कर्मचारियों को वेतन भी देने में सक्षम नहीं थी। इसके विपरीत, यदि ग्राम सभा का गठन हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के तहत किया जाता है, तो उक्त निकाय को बुनियादी सुविधाएं और सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के कल्याण कोष से पर्याप्त अनुदान मिलेगा। 2001 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, इस शहर की कुल जनसंख्या लगभग 13,174 थी जिसमें से 7,000 पंजीकृत मतदाता थे। उक्त 7000 मतदाताओं में से सभी वार्डों के लगभग 6000 मतदाता नगर पालिका साढौरा को समाप्त कर ग्राम पंचायत के पुनर्गठन के पक्ष में हैं। वे वार्डवार, शहर के निवासियों द्वारा संयुक्त रूप से सरकार को दिए गए अभ्यावेदन पर अपने हस्ताक्षर करते हैं। इस सामग्री और व्यापक जनता की राय के आधार पर सरकार ने जनहित में समिति को समाप्त करने का निर्णय लिया था। नगरपालिका समिति के स्थान पर कस्बे साढौरा में ग्राम पंचायत के गठन के पक्ष में हस्ताक्षर करने वाले और अंगूठा लगाने वाले पंजीकृत मतदाताओं की वार्डवार सूची की अनुवादित प्रति का सही उद्धरण संलग्नक आर-6/1 के रूप में संलग्न किया गया था। इस प्रकार पढ़ता है:

(14) "वार्ड नंबर 1

सीनियर.	नाम	वार्ड नं.	हस्ताक्षर
1	प्रीतम सिंह संधू	1	एसडी / -
2 को 209	कृष्णन कुमार ओबेरॉय और अन्य 207 व्यक्ति		हस्ताक्षर

वार्ड नंबर 2

1	गैरीब दास सानी का बेटा करतारा राम सानी	2	एसडी / -

2 को 391	मुकेश कुमार सानी का बेटा श्री देवेंद्र सैनी और अन्य 389 व्यक्ति		हस्ताक्षर
	वार्ड नंबर 3		
1	राम मूर्ति पंचर	3	एसडी / -
2 को 214	सोम नाथ और अन्य 212 व्यक्तियों		हस्ताक्षर
	वार्ड नंबर 4		
1	रवि भूषण बत्रा	4	एस डी / -
2 को 152	जवाहर लाल बत्रा और अन्य 150 व्यक्ति		हस्ताक्षर
	वार्ड नंबर 5		
1	हरि चंद	5	एसडी / -
2 को 263	जगदीश चंदर और अन्य 261		हस्ताक्षर
	वार्ड नंबर 6		
1	मदन लाल अग्रवाल	6	एसडी / -
2 को 177	रघुबीर सरन और अन्य 175 व्यक्ति		हस्ताक्षर

वार्ड नंबर 7			
1	सोम पार्कश शर्मा	7	एस डी / -
2 को	सरोज बाला और अन्य 261 व्यक्तियों		हस्ताक्षर
वार्ड नंबर 8			
1	गोवर्धन लाल शर्मा	8	एस डी / -
2 को 357	सत्य रानी और अन्य 355 व्यक्तियों		हस्ताक्षर
वार्ड नंबर 9			
1	जगन नाथ शर्मा	9	एस डी / -
2 को 331	कृष्णन चंद शर्मा और अन्य 329		हस्ताक्षर
वार्ड नंबर 10			
1	सुखबीर सिंह	10	एसडी / -
2 को 264	Sukhwinder कौर और अन्य 262 व्यक्ति		हस्ताक्षर
वार्ड नंबर 11			
1	गणेश दास	1 1	एस डी / -
2 को 333	बलजिंदर सिंह और अन्य 331 व्यक्ति		हस्ताक्षर

वार्ड नंबर 12			
1	वज़ीर	12	एसडी / -
2 को 252	रमेश कुमार और अन्य 250 व्यक्ति		हस्ताक्षर
वार्ड नंबर 13			
1	राजिंदर कुमार	13	एस डी / -
2 को 333	सीमा रानी और अन्य 331 व्यक्तियों		हस्ताक्षर
वार्ड नंबर 14			
1	कुलवंत सिंह सेठी	14	एसडी / -
2 को 319	हरजीत सिंह सेठी और अन्य 317 व्यक्ति		हस्ताक्षर
वार्ड नंबर 15			
1	रमेश चंद	15	एस डी / -
2 को 361	बाला रानी और अन्य 359 व्यक्तियों		हस्ताक्षर
वार्ड नंबर 16			
1 2 को 316	अलका सानी रिचा सई और अन्य 314	16	एस डी / - हस्ताक्षर
वार्ड नंबर १ 7			
1	हरपाल सिंह	17	एस डी / -
2 को 258	सरोज और अन्य 256 व्यक्ति		हस्ताक्षर

वार्ड नंबर 18			
1	संजीव कुमार	18	एस डी / -
2 को 328	जितेंदर कुमार और अन्य 326 व्यक्ति		हस्ताक्षर
वार्ड नंबर १ ९			
1	चंद राम	19	एसडी / -
2 को 304	पंकज सानी और अन्य 302 व्यक्तियों		हस्ताक्षर
वार्ड नंबर 20			
1	दीपक	20	एस डी / -
2 को 467	राम सरन और अन्य 465 व्यक्तियों		हस्ताक्षर

कुल: 5893 मतदाता."

(15) यह भी स्पष्ट किया गया कि तीन नगर आयुक्त, जिन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया था, राम दर्शन, चंद राम और नरिंदर कौर ने भी नगर समिति को खत्म करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की थी। चौथे निर्वाचित नगर आयुक्त (याचिकाकर्ता नंबर 1) ने भी कुछ अन्य याचिकाकर्ताओं के साथ इस न्यायालय के समक्ष एक औपचारिक आवेदन करके पार्टियों की सूची से अपना नाम वापस ले लिया। यह भी दावा किया गया कि याचिकाकर्ताओं की शिकायत, कि सरकार ने 1973 अधिनियम की धारा 8 के तहत एक अधिसूचना जारी करने और नगर पालिका को समाप्त करने से पहले, निवासियों को आपत्तियां दर्ज करने और सुनवाई का अधिकार देने का कोई अवसर नहीं दिया, पूरी तरह से गलत है।

(16) अब, राज्य सरकार ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) और धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 27.06.2007 को एक अधिसूचना जारी की और गांव साढौरा को एक सभा क्षेत्र बना और साढौरा के नाम से ग्राम पंचायत की स्थापना की। उक्त अधिसूचना की एक प्रति अनुबंध आर-6/2 के रूप में संलग्न की गई थी।

(17) हमने पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

(18) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री वीके जैन ने हरियाणा नगरपालिका अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों, जैसे धारा 3, 4, 5, 6 और 8 का विस्तृत संदर्भ दिया। धारा 3 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए अधिनियम, उनका तर्क है कि जहां भी राज्य सरकार इस अधिनियम के तहत किसी स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका बनाने का प्रस्ताव करती है, उसके पहले एक अधिसूचना जारी की जानी चाहिए। उक्त अधिसूचना उस स्थानीय क्षेत्र की सीमाओं को परिभाषित करेगी जिससे यह संबंधित है और इसे उक्त स्थानीय क्षेत्र के भीतर कुछ विशिष्ट स्थानों पर चिपकाया जाना है, जैसा कि प्रावधानों में परिकल्पित है। उप-धारा (5) में इस बात पर जोर दिया गया है कि इस तरह की अधिसूचना जारी करने और आवश्यक विवरण के साथ इसे संलग्न करने का पूरा उद्देश्य क्षेत्र के निवासियों को ऐसे प्रस्ताव से अवगत कराना और उस पर उनकी आपत्तियां मांगना है। उक्त आपत्तियों पर विचार करने और औपचारिक आदेश पारित करने के बाद ही राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर सकती है। इसी प्रकार, किसी भी स्थानीय क्षेत्र को शामिल करने के लिए या किसी स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका से बाहर करने के उद्देश्य से नगर पालिका की सीमा में बदलाव करने के उद्देश्य से भी, सरकार को निवासियों को एक अवसर देना होगा और उनकी आपत्तियों पर उचित विचार करना होगा। जैसा कि 1973 अधिनियम की धारा 4, 5 और 6 के तहत परिकल्पना की गई है।

(19) संक्षेप में, उनका तर्क यह है कि चूंकि 1973 अधिनियम की धारा 3, 4, 5 और 6 क्षेत्र के निवासियों को आपत्तियां दर्ज करने और सुनवाई का अवसर प्रदान करती है या वादा करती है, इसलिए उद्देश्यों के लिए भी समान अधिकार और प्रक्रिया मानी जानी चाहिए। 1973 अधिनियम की धारा 8 के तहत नगर पालिका को समाप्त करना। उन्होंने आगे तर्क दिया, दिनांक 28.02.2007 (अनुलग्नक पी-10) जारी करने से पहले, आपत्तियां कभी भी आमंत्रित नहीं की गईं, नगरपालिका क्षेत्र के निवासियों को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया, इस प्रकार, यह पूरी तरह से अवैध, मनमाना और ऑडी अल्टरम पार्टम के सिद्धांतों के विरुद्ध और 1973 अधिनियम के प्रावधानों का भी उल्लंघन है। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा जताया है:

1. *एसएल कपूर बनाम. जगमोहन और अन्य,*[1]
2. *बलदेव सिंह एवं अन्य बनाम. हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य,*[2]

---

[1] (1980) 4 एससीसी 379.
[2] (1987) 2 एससीसी 510.

3. *हरजिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य,*[3]
4. *वी के ऑयल्स प्रा. लिमिटेड बनाम. पंजाब राज्य और अन्य,*[4]
5. *मोहिंदर सिंह गिल और अन्य बनाम. मुख्य चुनाव आयुक्त, नई दिल्ली एवं अन्य,*[5]
6. *जगरूप सिंह गिल और अन्य बनाम। पंजाब राज्य और अन्य,*[6]
7. *पंजाब राज्य बनाम. दीवान चंद और अन्य,*[7]
8. *काथी रनिंग रावत बनाम. सौराष्ट्र राज्य,*[8]
9. *राम कृष्ण डालमिया बनाम. श्री न्यायमूर्ति एस आर तेंडोलकर और अन्य* [9]।

(20) हम यह भी देख सकते हैं कि हमारा ध्यान संविधान के भाग 9ए में अनुच्छेद 243यू की ओर भी आकर्षित होता है। यह तर्क देने की कोशिश की गई है कि अनुच्छेद 243यू के तहत, प्रत्येक नगर पालिका, जब तक कि उस समय लागू किसी भी कानून के तहत जल्द ही भंग न हो जाए, अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से पांच साल तक बनी रहेगी और उससे अधिक नहीं। हालाँकि, वह अनुच्छेद 243यू के प्रावधान पर जोर देते हैं, जो बताता है कि एक नगर पालिका को उसके विघटन से पहले सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा। इसलिए, उनका तर्क है कि सुनवाई के उचित अवसर के अभाव में, नगर पालिका के विघटन की कल्पना नहीं की जा सकती है और संवैधानिक आदेश के किसी भी उल्लंघन या उल्लंघन के मामले में विघटन खुद को कानून में असुरक्षित और अस्थिर बना देता है।

(21) हालाँकि, हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, हालाँकि याचिका में औपचारिक रूप से 1973 अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों की वैधानिक/संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है, हालाँकि, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील ने बहुत ही निष्पक्षता से प्रक्रिया के दौरान इसे छोड़ दिया। तर्क. तदनुसार, हमें वर्तमान कार्यवाही में उक्त प्रश्न की जांच करने की आवश्यकता नहीं है।

(22) इसके विपरीत, राज्य और निजी उत्तरदाताओं के वकील एक सुर में तर्क देते हैं कि 1973 अधिनियम की धारा 8 के तहत, सरकार किसी भी नगर पालिका को

---

[3] 2002 (1) आरसीआर (सिविल) 610.

[4] 1994 (3) आरआरआर 196.

[5] (1978) 1 एससीसी 405.

[6] 1995 (2) आरआरआर 453.

[7] ए.आई.आर. 1979 पी&एच 46.

[8] ए.आई.आर. 1952 एससी 123.

[9] ए.आई.आर. 1958 एससी 538.

समाप्त करने के लिए पूरी तरह से सशक्त है और प्रावधान दाखिल करने के किसी भी अवसर को दूर करने पर भी विचार नहीं करता है। निवासियों पर आपत्तियाँ या सुनवाई का अधिकार। यह तर्क दिया गया है कि भले ही धारा 3, 4, 5 और 6 के प्रावधान निवासियों से आपत्तियां मांगने पर विचार करते हैं, उसी इरादे को 1973 अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों में नहीं पढ़ा जा सकता है, खासकर जब विधायिका ने कोई आपत्ति प्रदान करने का विकल्प नहीं चुना है। ऐसा अधिकार. उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने भी निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा जताया है:

a. तुलसीपुर शुगर कंपनी लिमिटेड बनाम अधिसूचित क्षेत्र समिति, तुलसीपुर,[10]

b. ग्राम सभा, बेगोवाल बनाम पंजाब राज्य और अन्य[11]; और

c. बलबीर सिंह चौहान और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य[12]|

(23) हमने पक्षों के वकील को सुना है और ऊपर उल्लिखित प्रावधानों की जांच की है।

(24) संक्षेप में, हमारे विचार के लिए जो उठता है, वह यह है कि धारा 3, 4, 5 और 6 नगर पालिका के निर्माण या उसमें कुछ क्षेत्र को शामिल करने से पहले क्षेत्र के निवासियों को आपत्तियां दर्ज करने और सुनवाई का अवसर देने का वादा और प्रस्ताव करते हैं। या उसके कुछ क्षेत्र को बाहर करने पर, उक्त अधिकार और प्रक्रिया को धारा 8 के तहत नगर पालिका को समाप्त करने के उद्देश्य से भी माना और पालन किया जा सकता है। क्या आवश्यक निहितार्थ या निहित विधायी इरादे से ऐसी धारणा संभव या कानून में स्वीकार्य है? विशेषकर तब जब धारा 8 ऐसी किसी प्रक्रिया पर विचार या कल्पना नहीं करती।

(25) इस स्तर पर, 1973 अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों को संदर्भित करना उचित हो सकता है, जो इस प्रकार पढ़ा जाता है:

> "***नगरपालिका को खत्म करने की शक्ति।*** — *(1)* राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, धारा *3* के तहत घोषित किसी भी नगर पालिका को समाप्त कर सकती है |
>
> ***(2)*** जब किसी नगरपालिका के संबंध में इस धारा के तहत एक अधिसूचना जारी की जाती है, तो यह अधिनियम, और इस अधिनियम के तहत जारी की गई, बनाई गई या प्रदत्त सभी अधिसूचनाएं, नियम, उप-

---

[10] ए.आई.आर. 1980 एससी 1882.

[11] ए.आई.आर. 1981 पंजाब 101.

[12] 1991 पीएलजे 127.

कानून, आदेश, निर्देश और शक्तियां लागू नहीं होंगी। उक्त नगरपालिका, अधिसूचना जारी होने के समय समिति में निहित नगरपालिका निधि का शेष और अन्य सभी संपत्ति राज्य सरकार में निहित होगी और समिति की देनदारियां राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दी जाएंगी।

(3) जहां किसी भी नगर पालिका को उप-धारा *(1)* के तहत समाप्त कर दिया जाता है और बाद में समाप्त की गई नगर पालिका के क्षेत्र को पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, *1952* की धारा *4* की उप-धारा *(1)* के तहत एक सभा क्षेत्र घोषित किया जाता है। उपधारा *(2)* में निर्दिष्ट संपत्ति और देनदारियां पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, *1952* की धारा *5* के तहत इसकी स्थापना की तारीख से सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में निहित होंगी।

स्पष्टीकरण- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, संपत्ति में इस अधिनियम या किसी नियम या उप-कानून के तहत लगाए गए करों, टोल, संघर्ष विराम, दरों, बकाया और शुल्क के सभी बकाया शामिल होंगे जो नगरपालिका की समिति के ठीक पहले बकाया थे। इसके उन्मूलन की तारीख और इसकी वसूली ग्राम पंचायत द्वारा इस प्रकार की जाएगी जैसे कि ये ग्राम पंचायत को देय बकाया हों।

(26) उपरोक्त पुनरुत्पादित प्रावधानों के एक मात्र विश्लेषण से पता चलता है कि 1973 अधिनियम की धारा 3 के तहत घोषित नगर पालिका को समाप्त करने के लिए, राज्य सरकार को केवल उक्त प्रावधान के तहत एक अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, धारा 8 (सुप्रा) के प्रावधानों में नगर पालिका को समाप्त करने की अधिसूचना जारी होने से पहले स्थानीय क्षेत्र के निवासियों को कोई नोटिस, सुनवाई का अवसर या आपत्ति दर्ज करने का अधिकार नहीं दिया गया है। हालाँकि, इस तरह के अधिकार को धारा 3, 4, 5 और 6 के तहत एक सुविचारित और व्यापक प्रक्रिया स्थापित करके निवासियों को उचित मान्यता दी जाती है। हालाँकि, ऐसा अधिकार और प्रक्रिया धारा 8 में इसकी अनुपस्थिति के कारण स्पष्ट है। 1973 अधिनियम. एक बार, विधायिका ने अपने विधायी ज्ञान में धारा 8 के तहत ऐसा कोई अधिकार प्रदान करने का विकल्प नहीं चुना है, तो इसे माना या पढ़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि यह प्रावधान को कानून बनाने या फिर से लिखने के समान होगा, जो निर्विवाद रूप से अधिकार क्षेत्र से परे है। यह न्यायालय. जो स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया है उसे आवश्यक निहितार्थ द्वारा नहीं माना जा सकता है। हालाँकि, यह दूर-दूर तक नहीं कहा जा सकता है कि विधायिका ने डिफ़ॉल्ट रूप से धारा 8 के तहत आपत्तियाँ दर्ज करने और सुनवाई का अधिकार प्रदान करना छोड़ दिया है। वास्तव में, यह एक सचेत विधायी निर्णय है कि इस तरह के अधिकार को जानबूझकर धारा 8 के तहत स्वीकार नहीं किया गया है। 8. सुनवाई की

प्रक्रियात्मक आवश्यकता विधायी शक्ति के प्रयोग में निहित नहीं है जब तक कि ऐसा अधिकार या सुनवाई स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं की गई हो। *मोटा सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य, 1984 आरआरआर 266*, नामक मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा की गई टिप्पणियों से हमारा दृष्टिकोण और राय और मजबूत हुई है, जो इस प्रकार है:

> " *सबसे पहले, इस बात पर प्रकाश डाला जाना चाहिए कि प्राकृतिक न्याय के नियम मूर्त नियम नहीं हैं। उन्हें संवैधानिक या मौलिक अधिकारों के शीर्ष पर नहीं उठाया जा सकता है, ताकि विधायिका के आदेश को खत्म किया जा सके, चाहे वह व्यक्त हो या आवश्यक इरादे से। ये नियम केवल उन क्षेत्रों में लागू हो सकते हैं जो वैध रूप से बनाए गए कानून के अंतर्गत नहीं आते हैं और कानून का स्थान नहीं ले सकते। यह भी समान रूप से अच्छी तरह से तय है कि विधायिका प्राकृतिक न्याय के नियमों को स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से बाहर कर सकती है। इसलिए, यह है. ठीक ही कहा गया है कि ये नियम केवल उन क्षेत्रों में आते हैं जहां विधायिका का आदेश अन्यथा मौन है। इसलिए, यदि कोई वैधानिक प्रावधान. या तो विशिष्ट रूप से या अन्यथा, प्राकृतिक न्याय के किसी या सभी सिद्धांतों के अनुप्रयोग को बाहर करता है। किसी अदालत के लिए वैधानिक आदेश की अनदेखी करने और फिर भी संबंधित प्रावधान में प्राकृतिक न्याय के नियमों को लागू करने का कोई वारंट नहीं होगा। रिपोर्ट का पैराग्राफ 7 देखें भारत संघ (यूओआई) बनाम। कर्नल जेएन सिन्हा और अन्य*|
>
> *उपरोक्त प्रमुख सिद्धांत के आलोक में धारा 13(8) से (12) के प्रावधान की व्याख्या करने पर, यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि इसे अधिनियमित करते समय विधायिका स्वयं प्राकृतिक न्याय के नियमों और आवश्यकता के प्रति काफी जागरूक थी। या समामेलन के आदेश से प्रभावित पक्षों को नोटिस की आवश्यकता। धारा 13, उपधारा (9) में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि पूर्ववर्ती उपधारा के तहत समामेलन का कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रस्तावित आदेश की एक प्रति संबंधित सोसायटी या संबंधित सोसायटी और लेनदारों को पोस्टिंग प्रमाण पत्र के तहत विधिवत नहीं भेज दी गई हो। उसके इसलिए, विधायिका ने अपने विवेक से, नोटिस की प्रकृति और सामग्री दोनों को निर्दिष्ट किया था, उसके विचार में पार्टियों को इसके बारे में सूचित किया जाना आवश्यक था और यहां तक कि जिस तरीके से नोटिस भेजा जाना था।*

****

*उन्होंने यह भी ध्यान में रखा होगा कि डिवीजन बेंच का फैसला*I *अमेरहेरी सहकारी कृषि सेवा सोसायटी और अन्य बनाम। हरियाणा राज्य और अन्य,*) *वर्तमान अधिनियमन से दो साल पहले सुनाया गया था और यह निर्माण का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है कि कानून के एक मामले के रूप में विधायिका को कानून की पिछली स्थिति और न्यायालयों द्वारा उस पर रखे गए आधिकारिक निर्माण के बारे में पता होना चाहिए। उस निर्णय में यह माना गया था कि प्राकृतिक न्याय के नियम के अनुसार सदस्यों और लेनदारों दोनों को प्रस्तावित आदेश की एक प्रति प्राप्त करने का अधिकार है। फिर भी, कानून की धारा*13 *में उप-धारा*(9) *जोड़ते समय विधायिका ने अपने विवेक से सोसाइटियों और उनके लेनदारों को शामिल किया, लेकिन किसी नोटिस की आवश्यकता या व्यक्तिगत सदस्यों पर प्रस्तावित आदेश की सेवा का कोई उल्लेख नहीं किया। . इसलिए, अपरिहार्य निष्कर्ष यह होगा कि प्रस्तावित आदेश की सेवा का दायरा अकेले सोसायटियों पर विस्तारित करते समय (जैसा कि हरियाणा राज्य में मौजूद है), पंजाब विधानमंडल ने अपने विवेक से केवल लेनदारों की श्रेणी को अपने दायरे में शामिल किया है। आवश्यक निहितार्थ से सभी समाजों के व्यक्तिगत सदस्यों के वर्ग को बाहर रखा गया।*"

(27) इस मुद्दे पर आगे और गहराई से विचार करने के लिए, हम शक्ति की प्रकृति और चरित्र का विश्लेषण करना समीचीन और आवश्यक मानते हैं, जिसका प्रयोग सरकार 1973 अधिनियम की धारा 8 के तहत करती है। प्रावधानों का एक स्पष्ट पाठ, जिसे हमने निर्णय के पहले भाग में पुन: प्रस्तुत किया है, बिना किसी अनिश्चित शब्दों के सुझाव देता है, कि राज्य सरकार एक अधिसूचना द्वारा धारा 3 के तहत घोषित नगर पालिका को समाप्त कर सकती है। धारा की उप-धारा (2) 8 स्थिति को आगे ले जाता है, जैसा कि यह बताता है, कि किसी भी नगर पालिका, 1973 अधिनियम और जारी सभी अधिसूचनाओं, नियमों, उप-कानूनों, आदेशों, निर्देशों और शक्तियों के संबंध में उप-धारा (1) के तहत एक अधिसूचना जारी करने पर, उक्त अधिनियम के तहत किया गया या प्रदत्त, उक्त नगर पालिका पर लागू नहीं होगा। शेष नगरपालिका निधि और अन्य सभी संपत्तियां, जो उक्त अधिसूचना जारी होने पर समिति में निहित थीं, राज्य सरकार में निहित हो जाएंगी और समिति की देनदारियां राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दी जाएंगी।

(28) उपरोक्त सरकार द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति की प्रकृति है, उदाहरण के लिए, यह न तो प्रशासनिक और न ही अर्ध-न्यायिक हो सकती है, लेकिन इसे अनिवार्य रूप से चरित्र में विधायी के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। हमें इस मुद्दे के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा *पंजाब राज्य बनाम. टहल सिंह और*

अन्य[13] मे की गई कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियों का उल्लेख करना समीचीन लगता है।,जो इस प्रकार पढ़ा जाता है:

> "5. इससे पहले कि हम मुख्य प्रश्न पर विचार करें, शक्ति की प्रकृति का पता लगाना आवश्यक है, जिसका प्रयोग राज्य सरकार अधिनियम की धारा 3 और 4 के प्रावधानों के तहत करती है। उक्त शक्ति या तो विधायी, प्रशासनिक या अर्ध-न्यायिक हो सकती है।
>
> 6. रमेशचन्द्र कछारदास पोरवाल एवं अन्य में। आदि बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य। आदि, यह माना गया कि अधिसूचना द्वारा घोषणा करना कि संबंधित कृषि उपज बाजार अधिनियम के तहत एक बाजार क्षेत्र के लिए कुछ स्थान प्रमुख बाजार यार्ड होगा, चरित्र में एक अधिनियम विधायी था। भारत संघ और अन्य में. बनाम सायनामाइड इंडिया लिमिटेड और अन्य, इस न्यायालय ने विधायी, प्रशासनिक और अर्ध-न्यायिक के बीच अंतर करते हुए इस प्रकार कहा:
>
> *"एक विधायी अधिनियम विशेष मामलों के संदर्भ के बिना आचरण के एक सामान्य नियम का निर्माण और प्रचार है; एक प्रशासनिक अधिनियम नीति की आवश्यकताओं के अनुसार एक विशिष्ट दिशा का निर्माण और जारी करना या किसी विशेष मामले में एक सामान्य नियम का अनुप्रयोग है। विशेष मामलों के संदर्भ के बिना और आमतौर पर भविष्य में लागू होने वाले आचरण के सामान्य नियम तैयार करने की प्रक्रिया में कानून; प्रशासन विशेष कार्य करने, विशेष आदेश जारी करने या निर्णय लेने की प्रक्रिया है जो विशेष मामलों में सामान्य नियम लागू करती है।" यह भी कहा गया है: "नियम बनाना आम तौर पर उन आवश्यकताओं के निर्माण की ओर निर्देशित होता है जो व्यापक रूप से पहचाने जाने योग्य वर्ग के सभी सदस्यों के लिए सामान्य अनुप्रयोग होते हैं" जबकि, "दूसरी ओर, एक निर्णय विशिष्ट व्यक्तियों या स्थितियों पर लागू होता है"। लेकिन यह केवल एक व्यापक अंतर है, जरूरी नहीं कि यह हमेशा सच हो। प्रशासन और प्रशासनिक न्यायनिर्णयन भी सामान्य अनुप्रयोग का हो सकता है और केवल विशेष अनुप्रयोग का कानून हो सकता है। इससे इंकार नहीं किया जा सकता. फिर, न्यायनिर्णयन अतीत और वर्तमान तथ्यों को निर्धारित करता है और अधिकार और दायित्वों की घोषणा करता है जबकि कानून भविष्य की कार्रवाई का संकेत देता है। न्यायनिर्णयन अतीत और वर्तमान का निर्धारक है जबकि कानून भविष्य का संकेतक है। नियम का उद्देश्य, उसके लागू होने की पहुंच, उससे उत्पन्न होने वाले अधिकार और दायित्व। अतीत, वर्तमान और भविष्य की घटनाओं पर इसका इच्छित प्रभाव, इसका स्वरूप, इसकी घोषणा का तरीका*

[13] ए.आई.आर. 2002 एससी 533.

कुछ ऐसे कारक हैं जो विधायी और गैर-विधायी कृत्यों के बीच रेखा खींचने में मदद कर सकते हैं।

7. उपरोक्त निर्णयों से जो कानून के सिद्धांत सामने आते हैं वे हैं- (1) जहां एक प्रतिमा के प्रावधान विधायी गतिविधि के लिए प्रदान करते हैं, अर्थात एक विधायी साधन बनाना या आचरण के सामान्य नियम की घोषणा करना या सरकार द्वारा एक अधिसूचना द्वारा घोषणा करना वह निश्चित स्थान या क्षेत्र ग्राम सभा का हिस्सा होगा और ऐसी घोषणा के जारी होने पर कुछ अन्य वैधानिक प्रावधान तुरंत कार्रवाई में आते हैं जो कुछ निश्चित परिणामों का प्रावधान करते हैं; (2) जहां किसी क़ानून के प्रावधानों के तहत सरकार द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति किसी व्यक्ति के हित से संबंधित नहीं है और यह सामान्य रूप से जनता से संबंधित है या सामान्य चरित्र की सामान्य दिशा से संबंधित है और किसी व्यक्ति के खिलाफ निर्देशित नहीं है या किसी विशेष स्थिति के लिए और (3) भविष्य की कार्रवाइयों को निर्धारित करने के लिए, उसे आम तौर पर चरित्र में विधायी माना जाता है"।

(29) उपरोक्त के मद्देनजर, हम निसंकोच दर्ज करते हैं कि सरकार द्वारा 1973 अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्ति न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्य का अभ्यास नहीं है जहां कार्य की प्रकृति में सिद्धांत शामिल हैं प्राकृतिक न्याय या किसी व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक कार्य के किसी भी मामले में। इसलिए, हमारा विचार है कि धारा 3 के तहत घोषित किसी भी नगर पालिका को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा धारा 8 के तहत एक अधिसूचना जारी करना विधायी कार्यों के निर्वहन में विधायी कार्यों के प्रावधानों के संदर्भ में एक विधायी कार्य है। कार्यवाही करना। इस प्रकार इसे सशर्त विधान कहा जा सकता है।

(30) अब दूसरा प्रश्न, जो हमारे विचार के लिए सामने आता है, वह यह है कि यदि धारा 8 के तहत सरकार द्वारा प्रयोग की गई शक्ति विधायी है, तो क्या राज्य सरकार, उक्त शक्ति का प्रयोग करते समय सिद्धांतों का पालन करने के लिए बाध्य है? ऑडी अल्टेराम पार्टेम? हमारे मन में इसका उत्तर नकारात्मक है। प्राकृतिक न्याय के नियम विधायी कार्रवाई, पूर्ण या अधीनस्थ पर लागू नहीं होते हैं। सुनवाई की प्रक्रियात्मक आवश्यकता विधायी शक्ति के प्रयोग में निहित नहीं है जब तक कि सुनवाई स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं की गई हो। हम फिर से कुछ टिप्पणियों का उल्लेख कर सकते हैं जिन्हें माननीय न्यायालय ने पंजाब राज्य बनाम टहल सिंह और अन्य (सुप्रा) मामले में फैसले के पैराग्राफ 9 में दर्ज किया था, जो इस प्रकार है:

"9. एक बार जब यह पाया जाता है कि अधिनियम की धारा3 और4 के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्ति क्रमशः विधायी है, तो सवाल उठता है कि क्या राज्य सरकार को उस शक्ति का प्रयोग करते समय प्राकृतिक न्याय के नियम का पालन करना आवश्यक है? यह लगभग स्थापित कानून है कि कोई भी विधायी कार्य चाहे वह प्राथमिक हो या अधीनस्थ, प्राकृतिक न्याय के नियम के अधीन नहीं है। विधायिका के विधायी कार्य के मामले में, प्राकृतिक न्याय के नियम को लागू करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। हालाँकि, अधीनस्थ कानून के मामले में, विधायिका प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के पालन का प्रावधान कर सकती है या ग्राम सभा के क्षेत्रीय क्षेत्र के संबंध में कोई भी घोषणा करने से पहले और ग्राम सभा की स्थापना से पहले क्षेत्र के निवासी को सुनने का प्रावधान कर सकती है। उस क्षेत्र के लिए. हमने ऐसे कई अधिनियम देखे हैं जहां किसी भी क्षेत्र को एक ग्राम सभा से बाहर कर उसे विभिन्न ग्राम सभाओं या स्थानीय प्राधिकरण में शामिल करने से पहले सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। हालाँकि, यह विधायी ज्ञान और किसी अधिनियम के प्रावधानों पर निर्भर करता है। जहां विधायिका ने किसी क्षेत्र को ग्राम सभा से बाहर करने और इसे किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण या निकाय में शामिल करने से पहले सुनवाई का अवसर देने का प्रावधान किया है, वहां सुनवाई का अवसर अनिवार्य है और निवासियों को सुनवाई का ऐसा अवसर देने में विफलता होगी। घोषणा को अमान्य करें. लेकिन जहां विधायिका ने अपने विवेक से अधिनियम की धारा3 या धारा4 के तहत घोषणा जारी करने से पहले सुनवाई का कोई अवसर प्रदान करने या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करने का विकल्प नहीं चुना है, वहां क्षेत्र के निवासी देने के लिए जोर नहीं दे सकते। जिस क्षेत्र में वे रह रहे हैं उसे किसी अन्य ग्राम सभा या स्थानीय प्राधिकरण में शामिल करने से पहले सुनवाई का अवसर दिया जाता है। रमेशचंद्र कछारदास पोरवाल एवं अन्य में। बनाम महाराष्ट्र राज्य (सुप्रा), इस न्यायालय ने इस प्रकार कहा:

" बिहार के एक मामले में यह आगे प्रस्तुत किया गया था कि जब एक बाजार यार्ड को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर स्थापित किया गया था, तो आपत्तियां आमंत्रित करना और सुनना संबंधित प्राधिकारी का कर्तव्य था। ऐसा न करना एक स्थान पर यार्ड का उल्लंघन था और इसलिए इसे अन्यत्र स्थापित करना बुरा था। अधिनियम के तहत "बाज़ार क्षेत्र" घोषित किए जाने से पहले आपत्तियां थीं, इसलिए किसी विशेष स्थान पर "बाज़ार क्षेत्र" स्थापित करने से पहले आपत्तियां आमंत्रित की जानी चाहिए और सुनी जानी चाहिए। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत इसकी मांग करते थे। हम सहमत नहीं हो पा रहे हैं. हम यहां किसी न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्य के अभ्यास से चिंतित नहीं हैं, जहां कार्य की प्रकृति में प्राकृतिक न्याय के नियमों का अनुप्रयोग शामिल है, या व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक कार्य शामिल हैं, इसलिए, निष्पक्ष रूप से कार्य करना एक कर्तव्य है। . हमारा संबंध विधायी गतिविधि से है; हम एक विधायी उपकरण बनाने से चिंतित हैं, सरकार की अधिसूचना द्वारा घोषणा कि एक निश्चित स्थान एक बाजार

क्षेत्र के लिए एक प्रमुख बाजार यार्ड होगा, जिस घोषणा पर कुछ वैधानिक प्रावधान तुरंत कार्रवाई में आते हैं और कानून द्वारा निर्धारित कुछ परिणाम होते हैं तुरंत अनुसरण करें. संदर्भ में, घोषणा करना निश्चित रूप से एक विधायी कार्य है और प्राकृतिक न्याय के नियमों के पालन के लिए बाध्य नहीं करता है।

10. वर्तमान मामले में, अधिनियम के प्रावधान किसी विशेष ग्राम सभा के अंतर्गत आने वाले किसी भी क्षेत्र को बाहर कर किसी अन्य ग्राम सभा में शामिल करने से पहले निवासियों को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं करते हैं। ऐसे प्रावधान के अभाव में, उस क्षेत्र के निवासी जिसे बाहर रखा गया है और एक अलग ग्राम सभा में शामिल किया गया है, क्रमशः अधिनियम की धारा3 और4 के तहत घोषणा जारी करने से पहले सुनवाई के अवसर से इनकार करने के संबंध में शिकायत नहीं कर सकते हैं। हालाँकि, स्थिति अलग होगी जहां किसी क्षेत्र के किसी विशेष निवासी के घर को मौजूदा ग्राम सभा से बाहर कर किसी अन्य ग्राम सभा में शामिल करने की मांग की जाती है। वहां सरकार की कार्रवाई किसी व्यक्ति के विरुद्ध निर्देशित होने पर सरकार को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है। उपरोक्त कारणों से, हमारा विचार है कि सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 3 या धारा 4 के तहत घोषणा करने से पहले सुनवाई का कोई अवसर दिए जाने की आवश्यकता नहीं थी।"

(31) ऊपर ऊपर जो कहा गया है, उसकी अगली कड़ी में, हम *ग्राम सभा बेगोवाल बनाम पंजाब राज्य और अन्य, 1981 एआईआर (पंजाब) 101,* के मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा दिए गए एक अन्य फैसले का भी उल्लेख कर सकते हैं। गौर हो कि उक्त मामले में ग्राम सभा बेगोवाल ने एक शिकायत के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाया था कि गांव बेगोवाल, तहसील और जिला कपूरथला में, पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 के तहत एक ग्राम सभा का गठन किया गया था। ग्राम पंचायत के लिए नए चुनावों की अधिसूचना जारी की गई थी। 16.08.1978, लेकिन चुनाव नहीं हुए क्योंकि सरकार ने गांव बेगोवाल के क्षेत्र को पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911 की धारा 241 के तहत अधिसूचित क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव रखा था। 19.10.1978 की एक अधिसूचना, 27.10 को राजपत्र में प्रकाशित हुई। 1978 में कपूरथला जिले के गांव बेगोवाल सहित स्थानीय क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए एक अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया था। उक्त अधिनियम की धारा 241 और 242 की शक्तियों को चुनौती निम्नलिखित आधारों पर दी गई थी: -

> "2. *जबकि अधिनियम की धारा 4 और 7 में नगर पालिका घोषित करने, उसकी सीमा में परिवर्तन करने और कुछ स्थानीय क्षेत्र को उसमें से बाहर करने, उपरोक्त प्रस्तावों पर आपत्तियां आमंत्रित करने और अंतिम निर्णय लेने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया प्रदान की गई है। उन आपत्तियों पर विचार करने के बाद, याचिकाकर्ताओं के अनुसार, अधिनियम की धारा241 और242 के*

तहत अधिसूचना जारी करते समय ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया था और निष्पादन को एक अधिसूचित क्षेत्र बनाने और अधिनियम या उसके कुछ हिस्से को लागू करने की मनमानी शक्ति दी गई थी। अंतिम निर्णय लेने से पहले निवासियों को राज्य सरकार के समक्ष अपनी इच्छाओं को रखने का अवसर दिए बिना, चूंकि एक प्रक्रिया, एसएस 4 *से* 7 *में निर्धारित की गई है और अधिनियम की धारा* 241 *और* 242 *में एक अलग प्रक्रिया निर्धारित की गई है, धारा* 241 *और* 242 *संविधान के अनुच्छेद* 14 *के अधिकारातीत हैं।*"

(32) उपरोक्त पर विचार करते हुए पूर्ण पीठ निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंची:

"9. *अगला बिंदु जो विचार के लिए उठता है वह यह है कि यद्यपि एस.एस. अधिनियम के* 4 *से* 7 *तक आपत्तियों की सुनवाई का प्रावधान किया गया है, लेकिन धारा*241 *में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है, इसलिए इसका प्रभाव क्या है? कानून के किसी भी प्रावधान को अधिकारेतर नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें संबंधित व्यक्तियों की सुनवाई का प्रावधान नहीं है। वैधानिक प्रावधानों के निर्माण में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कोई उल्लंघन नहीं होता है। इस देश में सर्वोच्च न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को लागू किया है, जहां किसी नागरिक की अनुपस्थिति में उसके नागरिक अधिकारों को प्रभावित करने की मांग की जाती है, लेकिन इसे इतना बड़ा नहीं किया जा सकता है कि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि सभी कानून जो प्रदान नहीं करते हैं सुनवाई अधिकारातीत होगी। एस.एस. का अवलोकन अधिनियम की धारा*4 *से*7, 10 *और*241 *से पता चलता है कि जबकि क़ानून धारा*5 *से*7 *में सुनवाई का प्रावधान करता है, अधिनियम की धारा* 241 *के तहत कार्रवाई करते समय कोई सुनवाई प्रदान नहीं की जाती है। इसलिए, विधायिका ने जो भी उचित समझा, इलाके के निवासियों की सुनवाई का प्रावधान किया गया और उसके लिए प्रावधान किया गया, लेकिन जहां भी सुनवाई करना उचित नहीं समझा गया, वहां न तो सिद्धांत के आधार पर और न ही अधिकार के आधार पर ऐसा कोई प्रावधान किया गया। याचिकाकर्ताओं द्वारा समर्थन किया गया है कि जो धारा सुनवाई का प्रावधान नहीं करती है वह संविधान के अनुच्छेद* 14 *के अधिकारातीत होगी।*

10., *उपरोक्त दृष्टिकोण को आगे समर्थन मिलता है तुलसीपुर शुगर कंपनी लिमिटेड बनाम अधिसूचित क्षेत्र समिति, तुलसीपुर,* AIR 1980 एससी 882, *उस मामले में, सुप्रीम कोर्ट यूपी टाउन एरिया एक्ट (*1914 *का* 2) *की धारा* 3 *की व्याख्या कर रहा था, जिसने राज्य सरकार को अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी भी शहर, गांव, उपनगर, बाजार को घोषित करने के लिए अधिकृत किया था। राज्य सरकार ने इस प्रावधान के तहत एक शहरी क्षेत्र को अधिसूचित करने*

के लिए एक अधिसूचना जारी की थी और अधिसूचना को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि चूंकि प्रस्तावित अधिसूचना की सूचना प्रकाशित करने और उस संबंध में दायर किसी भी प्रतिनिधित्व या आपत्तियों पर विचार करने के लिए धारा 3 में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। जनता के सदस्यों के लिए, अधिसूचना को रद्द किया जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार फैसला सुनाया:-—

" धारा3 में यह प्रावधान नहीं है कि राज्य सरकार को किसी भी क्षेत्र को नगर क्षेत्र घोषित करने के अपने प्रस्ताव को पूर्व प्रचार देना चाहिए और जनता के सदस्यों द्वारा इस संबंध में दायर किसी भी प्रतिनिधित्व या आपत्ति पर विचार करने के बाद ऐसी घोषणा करनी चाहिए। न ही राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा3 को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के लिए अर्थात किसी भी क्षेत्र को घोषित करने के अपने प्रस्ताव को प्रचारित करने के लिए कि अधिनियम की धारा 3 के तहत कोई घोषणा की जानी चाहिए या नहीं, प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए या उस संबंध में जनता के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत आपत्तियाँ। इसलिए, ऐसी प्रक्रिया का पालन करने में विफलता धारा3 के तहत किसी भी घोषणा को अमान्य नहीं करेगी। धारा3 के तहत घोषणा करने की राज्य सरकार की शक्ति विधायी है क्योंकि अधिनियम के बाकी प्रावधानों का आवेदन भौगोलिक क्षेत्र जिसे नगर क्षेत्र घोषित किया गया है, ऐसी घोषणा पर निर्भर है। एटी की धारा3 एक सशर्त विधान की प्रकृति में है। कहावत" ऑडी अल्टरम पार्टेम" आवश्यक निहितार्थ से मामले पर लागू नहीं होती है।

धारा 3 के तहत जारी की गई एक अधिसूचना जिसका प्रभाव किसी भौगोलिक क्षेत्र पर अधिनियम को लागू करना है, एक सशर्त कानून की प्रकृति में है और इसे अधीनस्थ कानून के एक भाग के रूप में चित्रित नहीं किया जा सकता है। इसलिए, राज्य सरकार के लिए उसी प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक नहीं है जो अधिनियम की धारा 39 के तहत नियमों की घोषणा पर लागू होती है। धारा3 के तहत की जाने वाली घोषणा को धारा39 के तहत बनाए गए नियमों के साथ बराबर करना संभव नहीं है।.

तुलसीपुर शुगर कंपनी(सुप्रा) मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला वर्तमान मामले के चारों तरफ है। दोनों मामलों में चुनौती इस आधार पर एक अधिसूचित क्षेत्र/नगर क्षेत्र के निर्माण को लेकर है कि यह राज्य सरकार की प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ आपत्ति दर्ज करने का अवसर दिए बिना किया गया था। इसलिए, सुप्रीम कोर्ट के उक्त फैसले में दर्ज कारणों के लिए, हम याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाए गए दूसरे बिंदु में कोई योग्यता नहीं पाते हैं और मानते हैं कि अधिनियम की धारा241 संविधान के अनुच्छेद14 के दायरे से बाहर नहीं है क्योंकि अधिसूचित क्षेत्र घोषित करने से पहले क्षेत्र के निवासियों से आपत्तियां आमंत्रित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

11. इसलिए, ऊपर दर्ज किए गए कारणों से, हम मानते हैं कि अधिनियम की धारा 241 और 242 संविधान के अनुच्छेद 14 के अधिकारातीत नहीं हैं।"

(33) हम बलबीर सिंह चौहान और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, 1991 पीएलजे 127 के रूप में रिपोर्ट किए गए मामले में इस न्यायालय की एकल पीठ द्वारा दिए गए एक अन्य फैसले का भी उल्लेख कर सकते हैं। उक्त मामले में चुनौती, संयोग से, अधिसूचना को थी हरियाणा नगरपालिका अधिनियम की धारा 8 के तहत सरकार द्वारा जारी::

" *हरियाणा अधिनियम की धारा 8 की वैधता की जांच करने से पहले इस देश में नगर पालिकाओं और निगमों के निर्माण और उन्मूलन के मामले पर न्यायिक दृष्टिकोण की प्रगति की जांच करना प्रासंगिक होगा। न्यायालय राज्य प्राधिकारियों की कार्रवाई को तब उचित ठहराते रहे हैं जब उन्होंने संबंधित क़ानूनों में विधायिका द्वारा इंगित औपचारिकता का अनुपालन किया हो। इस प्रकार के मामले तुलसीपुर शुगर कंपनी लिमिटेड बनाम अधिसूचित क्षेत्र समिति, तुलसीपुर, ए.आई.आर. 1980 सुप्रीम कोर्ट 882, में यह देखा गया कि अधिसूचित क्षेत्र समिति बनाने में राज्य सरकार की शक्ति विधायी है क्योंकि जिस भौगोलिक क्षेत्र को नगर क्षेत्र घोषित किया गया है, उस पर अधिनियम के प्रावधानों का लागू होना ऐसी घोषणा पर निर्भर है। इसी प्रकार, बलदेव सिंह एवं अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य, ए.आई.आर. 1987 सुप्रीम कोर्ट 1239 में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक्ट के प्रावधानों के अनुपालन पर जोर दिया| कन्यालाल भथिजा और अन्य बनाम कलेक्टर, ठाणे, महाराष्ट्र और अन्य, ए.आई.आर.* 1990 सुप्रीम कोर्ट , *के मामले में इन निर्णयों पर विचार किया गया जिसमें न्यायालय ने माना कि अधिनियम के तहत निगम स्थापित करने में सरकार का कार्य न तो कार्यकारी है और न ही प्रशासनिक, बल्कि यह एक विधायी प्रक्रिया है। पैराग्राफ 23 और 24 जो मामले के पहलू से संबंधित हैं, इस प्रकार हैं: -*

"23. *मामले पर लौटते हुए, हम पाते हैं कि निगम बनाने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता के बारे में उच्च न्यायालय के निष्कर्ष में न तो तर्क का आकर्षण है और न ही कानून का समर्थन है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अधिनियम के तहत निगम स्थापित करने में*

सरकार का कार्य न तो कार्यकारी है और न ही प्रशासनिक। अपीलकर्ताओं के वकील का कहना सही था कि यह वास्तव में विधायी प्रक्रिया है। वैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन में सरकार पर कोई न्यायिक कर्तव्य नहीं रखा गया है। जांच का एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया गया है। यदि उनका अनुपालन किया जाता है, तो न्यायालय इससे अधिक कुछ नहीं कह सकता। वर्तमान मामले में सरकार ने मसौदा अधिसूचना द्वारा प्रस्ताव प्रकाशित किया और प्राप्त अभ्यावेदनों पर भी विचार किया। इसके बाद ही उल्हासनगर को कुछ समय के लिए बाहर करने का निर्णय लिया गया। वह निर्णय तब अंतिम हो गया जब इसे धारा 3(2) *के तहत अधिसूचित किया गया। न्यायालय ऐसे निर्णय पर निर्णय नहीं दे सकता। यह उस शक्ति के प्रयोग के लिए मानदंड निर्धारित नहीं कर सकता। यह उनकी न्यायसंगत इच्छा की जगह भी नहीं ले सकता।*

24. *समान रूप से, उच्च न्यायालय द्वारा पक्षों को सुनने के लिए जारी किया गया नियम भी अस्थिर है। धारा* 3 *के तहत अपनी शक्तियों के प्रयोग में सरकार विधायिका से अधिक प्राकृतिक न्याय के नियमों के अधीन नहीं है। प्राकृतिक न्याय के नियम विधायी कार्रवाई, पूर्ण या अधीनस्थ पर लागू नहीं होते हैं। सुनवाई की प्रक्रियात्मक आवश्यकता विधायी शक्तियों के प्रयोग में निहित नहीं है जब तक कि सुनवाई स्पष्ट रूप से निर्धारित न की गई हो। इसलिए, उच्च न्यायालय ने सरकार को उन पक्षों को सुनने का निर्देश देने में गलती की, जो कानून के तहत सुनवाई के हकदार नहीं हैं।*

6. *उपरोक्त फैसले के मद्देनजर जिसमें कॉर्पोरेट नगरपालिका प्राधिकरण बनाने के विषय से संबंधित मामले के कानून की समीक्षा की गई थी, याचिकाकर्ता के तर्क में कोई योग्यता नहीं है। इस मामले में याचिकाकर्ताओं की विधिवत सुनवाई की गई. आपत्तियां आमंत्रित की गईं और आपत्तियों की सुनवाई के बाद अंतिम अधिसूचना अनुलग्नक पी*5 *जारी की गई। यह कार्य जो राज्य सरकार विधायी होने के नाते करती है, न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से ऐसे कृत्य को पूर्ववत करने के लिए जो सबूत आवश्यक है, उसके लिए बहुत उच्च मानक की आवश्यकता होती है और वह निश्चित रूप से इस मामले में गायब है। हालांकि राज्य सरकार आपत्तियों को सुनने के लिए बाध्य नहीं थी, फिर भी उसने सभी संबंधित पक्षों को अवसर दिया, जैसा कि अधिसूचना अनुबंध पी*4 *से स्पष्ट है। आपत्तियाँ आमंत्रित की गईं और उसके बाद अनुबंध पी*5 *के माध्यम से अंतिम अधिसूचना जारी की गई। इसलिए, याचिकाकर्ता के हमले को बरकरार रखने के लिए कोई तर्क नहीं बचता है।*

xxxxxxxxxxxxxx

11. इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने एक पहलू पर ध्यान नहीं दिया कि मूल रूप से अंतिम परिणाम के बीच कोई अंतर नहीं है जो यह सुनिश्चित करता है कि जब पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911 की धारा 10 या 244 के तहत कार्रवाई की जाती है। हालांकि, निर्णय को स्पष्ट रूप से खारिज किए बिना दीवान चंद के मामले (सुप्रा) में दिए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने जसवंत सिंह मुल्तानी (सुप्रा) के मामले में फैसले को मंजूरी नहीं दी और उसे खारिज करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि धारा 244 के प्रावधान जिसके तहत अधिसूचित किया गया था क्षेत्र समिति को समाप्त करना एक वैध कानून है। यदि पंजाब नगरपालिका अधिनियम की धारा 244 के प्रावधानों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की यही राय है, तो यह मानना मुश्किल है कि हरियाणा नगरपालिका अधिनियम की धारा 8 के प्रावधान किसी भी तरह से मनमानी के दोष से ग्रस्त हैं।

(34) हमें 2011 के सीडब्ल्यूपी नंबर 14023 में इस न्यायालय के एक अन्य फैसले का उल्लेख करने का भी लाभ है, जिसका शीर्षक ***अजय कुमार और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य था,*** जिसका फैसला 08.05.2012 को हुआ था, जहां, विद्वान एकल न्यायाधीश ने एक बार कहा था यह माना गया है कि किसी शहरी क्षेत्र को नगर निगम में घोषित करने की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से एक विधायी कार्य है, एकमात्र आधार जिस पर इसे चुनौती दी जा सकती है वह असंवैधानिकता या अधिकारातीत का आधार है।

(35) पूरे मुद्दे के उपरोक्त परिप्रेक्ष्य के मद्देनजर, हम वास्तव में निर्णायक रूप से आश्वस्त हैं कि 1973 अधिनियम की धारा 8 के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय, ऑडी अल्टरम पार्टम के सिद्धांत या निवासियों द्वारा आपत्तियां दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है। क्षेत्र, न तो आवश्यक

(36) जिन निर्णयों पर विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा भरोसा किया गया है, वे याचिकाकर्ताओं के हित में कोई सहायता और मदद नहीं करते हैं और उनके मामले को आगे नहीं बढ़ाते हैं। उक्त निर्णयों में अनुपात निर्णय बिल्कुल अलग था। वह निश्चित आधार जिस पर उक्त निर्णय आधारित हैं, जहां किसी नागरिक के नागरिक अधिकारों को उसकी अनुपस्थिति में प्रभावित करने या नागरिक परिणाम देने की मांग की जाती है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के पालन पर जोर दिया जाता है। ऐसा है, यहाँ मामला निश्चित रूप से नहीं है। मेंएसएल कपूर बनाम. जगमोहन और अन्य,जाहिर है, पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911 (जैसा कि नई दिल्ली

पर लागू है) की धारा 238(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपराज्यपाल द्वारा एक आदेश पारित किया गया था, जिसके तहत, समिति को तत्काल प्रभाव से अधिक्रमण करने का आदेश दिया गया था और समिति की सभी शक्तियों और कर्तव्यों का पालन करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया था। उक्त मामले में, नई दिल्ली समिति के सदस्यों को पंजाब नगरपालिका अधिनियम की धारा 12 के तहत केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली के राज्यपाल द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था और यह एक वर्ष की अवधि की समाप्ति से काफी पहले था। , समिति को अधिक्रमण करते हुए एक आदेश पारित किया गया। सुपरसेशन के समर्थन में दिए गए कारण यह थे कि समिति प्रदर्शन करने में अक्षम थी और उसने अपने ऊपर लगाए गए कर्तव्यों के प्रदर्शन में लगातार चूक की थी और उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया था जिसके परिणामस्वरूप नगर निगम के धन की बर्बादी हुई थी। उपरोक्त निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय इस आधार पर आगे बढ़ता है कि अब एक प्रशासनिक आदेश में भी, यदि नागरिक परिणाम शामिल हैं, तो उसे प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन करना चाहिए। और इसके व्यापक अर्थ में एक नागरिक को उसके नागरिक जीवन में प्रभावित करने वाली हर चीज़ एक नागरिक परिणाम उत्पन्न करती है। विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा भरोसा किए गए अन्य निर्णयों की तुलना में स्थिति भी ऐसी ही है।

(37) संविधान के अनुच्छेद 243U के प्रावधान के संदर्भ में, विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा प्रस्तुत एकमात्र अन्य तर्क यह है कि नगर पालिका को उसके विघटन से पहले सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा। इसलिए, उपरोक्त प्रावधान के तहत वर्तमान मामले में चुनौती के तहत अधिसूचना पूरी तरह से अस्थिर थी क्योंकि सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया था। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम विस्तार में अनुच्छेद 243यू का संदर्भ लेना और उचित समझते हैं, जो इस प्रकार है:

> *"243-* ***यू नगरपालिकाओं की अवधि, आदि*** *(1)* प्रत्येक नगर पालिका, जब तक कि उस समय लागू होने वाले किसी भी कानून के तहत जल्द ही भंग न हो जाए, अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से पांच साल तक जारी रहेगी और इससे अधिक नहीं:
>
> बशर्ते कि एक नगर पालिका इसके विघटन से पहले सुनवाई का उचित अवसर दिया जाए.
>
> *(2)* किसी भी समय लागू कानून में कोई भी संशोधन किसी भी स्तर पर नगर पालिका के विघटन का कारण नहीं बनेगा, जो ऐसे संशोधन से ठीक पहले, समाप्ति तक कार्य कर रहा है। खंड *(1)* में निर्दिष्ट इसकी अवधि.

(3) एक नगर पालिका का चुनाव पूरा हो जाएगा, —

(a) खंड (1) में निर्दिष्ट इसकी अवधि की समाप्ति से पहले;

(b) इसके विघटन की तारीख से छह महीने की अवधि की समाप्ति से पहले:

बशर्ते कि जहां शेष अवधि जिसके लिए विघटित नगर पालिका जारी रहेगी, छह महीने से कम है, ऐसी अवधि के लिए नगर पालिका के गठन के लिए इस खंड के तहत कोई चुनाव कराना आवश्यक नहीं होगा

(4) विघटन पर गठित एक नगर पालिका किसी नगर पालिका की अवधि समाप्त होने से पहले केवल उस शेष अवधि के लिए जारी रहेगी जिसके लिए भंग नगर पालिका खंड *(1)* के तहत जारी रहेगी, यदि इसे इस प्रकार भंग नहीं किया गया था।

(38) उपरोक्त संवैधानिक प्रावधान और विशेष रूप से इसके प्रावधान का सच्चा और एकमात्र सार्थक निर्माण, यह हो सकता है कि नगर पालिका के लिए इसके विघटन से पहले एक उचित अवसर की कल्पना और चिंतन किया जाए, जो हमारे दिमाग में प्रतिनिधियों का एक निर्वाचित निकाय है। ऐसा तभी होता है जब नगरपालिका परिषद जैसी लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित संस्था को भंग कर दिया जाता है, तो उक्त विघटन से पहले सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना चाहिए। समग्र रूप से संवैधानिक प्रावधान का एक विस्तृत और गहन विश्लेषण भी उक्त परिप्रेक्ष्य का समर्थन करता है। हम नगर पालिका के अर्थ के संदर्भ में अपने दृष्टिकोण और समझ का समर्थन करने की शक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि पृष्ठ 1018 पर ब्लैक'ज़ लॉ डिक्शनरी (6वां संस्करण) में दिया गया है और इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:"

"*नगर पालिका. स्थानीय सरकारी या अन्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सीमित क्षेत्र के निवासियों का कानूनी रूप से निगमित या विधिवत अधिकृत संघ। राज्य की नागरिक सरकार में सहायता करने और समुदाय के स्थानीय और आंतरिक मामलों को विनियमित और प्रशासित करने के लिए कानून की अधीनस्थ शक्तियों के साथ निवेशित एक निर्धारित इलाके के लोगों को शामिल करके बनाई गई एक राजनीतिक संस्था।*"

(39) हमें यहां यह बताना याद दिलाया गया है कि वर्तमान मामले में, आम चुनाव, दिनांक 28.03.2006 की अधिसूचना (अनुलग्नक पी-5) और 1973 अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के परिणामस्वरूप, आयोजित होने वाले थे। 02.03.2007. हालाँकि, इससे पहले कि उक्त चुनाव वास्तव में हो पाते, दिनांक 28.02.2007

(अनुलग्नक पी-10) के तहत चुनौती के तहत अधिसूचना के माध्यम से, सरकार ने नगरपालिका समिति, साढौरा को समाप्त कर दिया। परिणामस्वरूप, राज्य चुनाव आयुक्त, हरियाणा द्वारा जारी सम तिथि अर्थात 28.02.2007 की अधिसूचना के माध्यम से, नगरपालिका समिति, साढौरा के सभी वार्डों का चुनाव कार्यक्रम रद्द कर दिया गया और यह घोषित किया गया कि 02.03.2007 को मतदान नहीं होगा। . हम यह भी देख सकते हैं कि चार निर्विरोध निर्वाचित उम्मीदवारों के संबंध में भी न तो कभी अधिसूचना जारी की गई और न ही चुनाव प्रक्रिया पूरी की गई, क्योंकि शेष नौ वार्डों का चुनाव 02.03.2007 को होना था। इस स्थिति में, नगर पालिका को सुनवाई का अवसर देने का कोई अवसर नहीं था, जो कि संविधान के अनुच्छेद 243यू के तहत विचार और परिकल्पना की गई संस्था है। किसी भी मामले में, हम केवल 1973 अधिनियम की धारा 8 के तहत आपत्तियां दर्ज करने के निवासियों के अधिकारों, यदि कोई हो, की जांच कर रहे हैं और हमारी सुविचारित राय में, अनुच्छेद 243U का प्रावधान वहां के निवासियों को ऐसे किसी भी अधिकार का विस्तार नहीं करता है। नगर पालिका के विघटन से पहले स्थानीय क्षेत्र.

(40) यह कि एक और पहलू है, जिस पर हमें ध्यान देना जरूरी है और इस स्तर पर इसे सामने रखने की जरूरत है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 के भाग II अध्याय III में "सभा क्षेत्र की स्थापना और ग्राम पंचायतों का गठन" शामिल है। उक्त अध्याय के तहत हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की धारा 7 इस प्रकार है:

*"7. **सभा क्षेत्र का सीमांकन।— (1)** सरकार, अधिसूचना द्वारा, पांच सौ से कम आबादी वाले किसी गांव या गांव के एक हिस्से या सन्निहित गांवों के समूह को एक या अधिक सभा क्षेत्र घोषित कर सकती है:*

बशर्ते कि सरकार असाधारण मामलों में, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, 500 की जनसंख्या की सीमा में छूट दे सकती है:

बशर्ते कि न तो संपूर्ण और न ही इसका कोई भाग

(ए) हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 के तहत गठित नगर पालिका;

(बी) छावनी;

<u>किसी सभा क्षेत्र में तब तक शामिल किया जाएगा जब तक किसी नगर पालिका में अधिकांश मतदाता ग्राम पंचायत की स्थापना की इच्छा नहीं रखते, ऐसी स्थिति में नगर पालिका की संपत्ति और देनदारियां, यदि कोई</u>

हों, ग्राम पंचायत में निहित हो जाएंगी और नगर पालिका का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।

(रेखांकित करना हमारा है)

(2) जनसंख्या का निर्धारण पिछली पिछली दशकीय जनगणना के आधार पर किया जाएगा, जिसके प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं।

(3) सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी भी क्षेत्र को सभा क्षेत्र में शामिल कर सकती है या किसी क्षेत्र को बाहर कर सकती है।

(5) यदि संपूर्ण सभा क्षेत्र को नगर पालिका या छावनी में शामिल किया जाता है, तो ग्राम पंचायत का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और उसकी संपत्ति और देनदारियां, जैसा भी मामला हो, नगर पालिका या छावनी में निहित हो जाएंगी।
(6)
(5) यदि संपूर्ण सभा क्षेत्र को फ़रीदाबाद कॉम्प्लेक्स (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1971 के तहत फ़रीदाबाद कॉम्प्लेक्स में शामिल किया गया है, तो ग्राम पंचायत का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और उसकी संपत्ति और देनदारियां फ़रीदाबाद कॉम्प्लेक्स में निहित हो जाएंगी।"

(41) उपरोक्त पुनरुत्पादित प्रावधान के एक मात्र विश्लेषण से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि 1973 अधिनियम के तहत गठित पूरी नगर पालिका या उसके एक हिस्से को एक सभा क्षेत्र में शामिल किया जा सकता है, यदि किसी नगर पालिका के अधिकांश मतदाता ग्राम पंचायत की स्थापना चाहते हैं| उस स्थिति में, नगर पालिका की संपत्ति और देनदारियां, यदि कोई हों, ग्राम पंचायत में निहित हो जाएंगी और नगर पालिका का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मतलब यह कि नगर पालिका के स्थान पर ग्राम पंचायत की स्थापना की जा सकेगी और उस स्थिति में नगर पालिका का क्षेत्र सभा क्षेत्र में शामिल हो जाएगा। उक्त नगर पालिका में अधिकांश मतदाताओं की वांछनीयता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। ऐसी प्रक्रिया अधिनियम के उपरोक्त प्रावधान को पढ़ने से स्पष्ट रूप से समझ में आती है।

(42) जाहिर है, वर्तमान मामले में, अधिसूचना दिनांक 28.03.2006 (अनुलग्नक पी-5) जारी होने के बाद, जिसके तहत नगर पालिका साढौरा की स्थापना की गई थी, क्षेत्र के निवासियों और पंजीकृत मतदाताओं और यहां तक कि ग्राम पंचायत संघर्ष समिति साढौरा ने भी साढौरा पंचायत को नगर पालिका बनाने की अधिसूचना वापस लेने के लिए सरकार को सामूहिक ज्ञापन। कस्बे के निवासियों ने विशाल सभाओं में राज्य सरकार से मुलाकात की और नगर पालिका

साढौरा को समाप्त करने के लिए प्रतिनिधित्व किया। ऐसा होने पर, राज्य सरकार ने उपायुक्त, यमुनानगर से एक रिपोर्ट/टिप्पणियां मांगीं। और जिन्होंने खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, साढौरा की टिप्पणियां मांगने के बाद जनहित में गांव साढौरा में नगरपालिका समिति के स्थान पर ग्राम पंचायत के गठन की सिफारिश की। बीडीपीओ ने अपनी रिपोर्ट के समर्थन में दिनांक 15.02.2007 को अपने पत्र में निम्नलिखित कारण बताए थे:

> *"* दिनांक *15.02.2007* को टेलीफोन पर दिए गए आपके आदेशों के अनुपालन के संदर्भ में, जो निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा, चंडीगढ़ के पत्र संख्या *1AE-2007/5664* दिनांक *15.02.07* के संदर्भ में डीसी, अंबाला को संबोधित हैं, रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है:-
>
> *1. 2001* की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार साढौरा की कुल जनसंख्या *13176* है जिसमें से अनुसूचित जाति की जनसंख्या *2589* है जो एक किलोमीटर के दायरे में स्थापित है। यह गांव जिला मुख्यालय, यमुनानगर से *30-35* किलोमीटर की दूरी पर है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग/रेलवे से *40* से *50* किलोमीटर की दूरी पर है।
>
> *2.* साढौरा क्षेत्र का माहौल बिल्कुल गांव जैसा है और यहां के अधिकतम लोग कृषि मजदूरी पर निर्भर हैं और बड़े स्तर पर कोई व्यापार नहीं होता है। यह एक छोटा शहर है और लोग छोटी-छोटी दुकानें चला रहे हैं और यह कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है और लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हैं।
>
> *3.* कि साढौरा में ग्राम पंचायत के कार्यकाल में अनेक विकास कार्य सम्पन्न हुए थे तथा उस समय लगभग सभी गलियों को सीमेंटेड किया गया था। ग्राम पंचायत के कार्यकाल के दौरान प्राप्त अनुदान नगरपालिका समिति के कार्यकाल की तुलना में बहुत अधिक था।
>
> *4.* ग्राम पंचायत के दौरान लोगों पर कर का बोझ कम होता था क्योंकि लोगों को केवल चूल्हा कर देना होता था। विकास कर एवं गृहकर, योजना शुल्क आदि समाप्त कर दिये गये। इसलिए साढौरा गांव में पंचायत का गठन करना जनहित में होगा।
>
> *5.* छछरौली व रादौर का वह क्षेत्र जहां पहले नगर पालिका अस्तित्व में थी, वह साढौरा जहां ग्राम पंचायत बनी है, से कहीं अधिक है। ऐसे में गांव साढौरा में म्यूनिसिपल कमेटी बनाने का कोई औचित्य नहीं है।
>
> *6.* नगरपालिका समिति के मामले में कर्मचारियों आदि का व्यय अधिक रहता है जबकि पंचायत द्वारा केवल स्वच्छता व्यय वहन किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप अधिकतम निधि का उपयोग विकास कार्यों पर किया जा सकता है।

7. यह कि इस गांव में आय का केवल एक ही स्रोत है यानी चूल्हा कर और दुकानों का किराया और कोई अन्य आय स्रोत नहीं है और कोई शामलात जमीन मौजूद नहीं है।

8. यह कि साढौरा में पंचायत बनने पर यह क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आ जायेगा और इसके फलस्वरूप लोगों को सरकारी सेवा एवं अन्य सुविधाओं में 50% आरक्षण की सुविधा मिलेगी जबकि शहरी क्षेत्रों में यह लाभ कम है।

(43) इसके अलावा, उत्तरदाताओं संख्या 6 से 135 द्वारा दायर लिखित बयान की प्रारंभिक आपत्तियों के पैराग्राफ 6 में यह दर्शाया गया है कि 2001 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, इस शहर की कुल जनसंख्या लगभग 13,174 थी, जिसमें से संख्या कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या लगभग 7,000 थी। उक्त 7,000 पंजीकृत मतदाताओं में से सभी वार्डों के लगभग 6,000 मतदाता नगरपालिका समिति, साढौरा को समाप्त करने के पक्ष में थे और उसके स्थान पर ग्राम पंचायत के गठन के लिए प्रार्थना की। उन सभी ने शहर के निवासियों द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिवादी सरकार को संलग्नक आर-6/1 के माध्यम से भेजे गए अभ्यावेदन पर अपने हस्ताक्षर किए थे, जिसे हमने फैसले के पैराग्राफ 8 में निकाला है। इस सामग्री और व्यापक जनता की राय के आधार पर, सरकार ने व्यापक जनहित में नगरपालिका समिति को समाप्त करने का निर्णय लिया था।

(44) अधिसूचना दिनांक 28.02.2007 (अनुलग्नक पी-10) के द्वारा नगर पालिका सधौरा को समाप्त कर दिया गया तथा अधिसूचना दिनांक 27.06.2007 (अनुलग्नक आर-6/2) के द्वारा धारा 7 उपधारा के अंतर्गत ग्राम पंचायत सधौरा की स्थापना की गई। (1) और हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1)। उक्त अधिसूचना का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार है:

*"**क्रमांक एसओ 54/एचए 11/1994/एस.एस. 7 और 8/2007:-**हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, **1994** (हरियाणा अधिनियम **11, 1994**) की धारा**7** की उप-धारा**(1)** और धारा**8** की उप-धारा**(1)** द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम**3** में निर्दिष्ट गांव को सभा क्षेत्र घोषित करते हैं और ब्लॉक और जिले में उक्त सभा क्षेत्र के लिए उक्त अनुसूची के कॉलम**4** में उल्लिखित साढौरा नाम से ग्राम पंचायत की स्थापना करते हैं। उक्त अनुसूची के क्रमशः कॉलम **1** और**2** ।"*

(45) जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा की गई पूरी कार्रवाई और कवायद नगर पालिका के स्थान पर ग्राम पंचायत, साढौरा को फिर से स्थापित करने के लिए थी। नगर पालिका साढौरा को खत्म करना तो

महज परिणाम था। इस बात पर फिर से जोर देने की जरूरत है कि क्षेत्र के निवासियों और पंजीकृत मतदाताओं के मन, इरादे और इच्छा का राज्य सरकार ने संज्ञान लिया था और नगर पालिका को खत्म करने और ग्राम पंचायत के पुनर्गठन की अधिसूचना से पहले उस पर विचार किया था। राज्य सरकार की यह कार्रवाई, पूरी तरह से, ऊपर उल्लिखित वैधानिक प्रक्रिया और प्रक्रिया के अनुरूप थी।

(46) उपरोक्त स्थिति को बलबीर सिंह चौहान के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियों से भी बल मिलता है, जो इस प्रकार है:

> *"13.* मामले को दूसरे नजरिये से भी देखा जा सकता है. क्या "सी" श्रेणी की नगर पालिका को समाप्त कर ग्राम पंचायत का निर्माण ऐसा कदम है जिसकी जानकारी कानून को नहीं है*?* इस संबंध में पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, *1952* के प्रावधानों पर ध्यान दिया जा सकता है। ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा *4* एक ग्राम पंचायत की स्थापना से संबंधित है और यह पंचायत के निर्माण पर विचार करती है यदि अधिसूचित क्षेत्र समिति या "सी" वर्ग की नगर पालिका में अधिकांश मतदाता ग्राम पंचायत की स्थापना की इच्छा रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में अधिसूचित क्षेत्र समिति या नगर पालिका समिति की संपत्ति और देनदारियां, जैसा भी मामला हो, उसके बाद स्थापित ग्राम पंचायत में निहित हो जाएंगी और अधिसूचित क्षेत्र समिति या नगर पालिका का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हरियाणा राज्य पर लागू पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, *1952* की धारा *4* इस प्रकार है:
>
> *"4. सबा क्षेत्रों का सीमांकन। — (1)* सरकार, अधिसूचना के अनुसार, पांच सौ से कम आबादी वाले किसी भी गांव या निकटवर्ती गांवों के समूह को एक या अधिक सभा क्षेत्र घोषित कर सकती है:-
>
> बशर्ते कि न तो संपूर्ण और न ही इसका कोई भाग -
>
> > (ए) हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 258 के तहत एक अधिसूचित क्षेत्र, या
> >
> > (बी) एक छावनी; या
> >
> > (सी) किसी भी वर्ग की नगर पालिका;
>
> किसी सभा क्षेत्र में तब तक शामिल किया जाएगा जब तक किसी अधिसूचित क्षेत्र या तीसरी श्रेणी की नगर पालिका के अधिकांश मतदाता ग्राम पंचायत की स्थापना की इच्छा नहीं रखते, ऐसी स्थिति में अधिसूचित क्षेत्र समिति या नगर पालिका समिति की संपत्ति और देनदारियां, यदि कोई हों, जैसे जो भी मामला

हो, उसके बाद स्थापित ग्राम पंचायत में निहित हो जाएगी और अधिसूचित क्षेत्र समिति का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा:

बशर्ते कि सरकार किसी विशेष मामले में पांच सौ की सीमा में छूट दे सकती है।

(2) सरकार अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र को सभा क्षेत्र में शामिल कर सकती है या किसी क्षेत्र को बाहर कर सकती है।

(2) यदि संपूर्ण सभा क्षेत्र को हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, *1973* की धारा *258* के तहत नगर पालिका, छावनी या अधिसूचित क्षेत्र में शामिल किया जाता है, तो ग्राम पंचायत का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और उसकी संपत्ति और देनदारियों का निपटान कर दिया जाएगा। निर्धारित तरीके से.

(47) इस प्रकार, पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम (जैसा कि हरियाणा पर लागू है) की धारा 4 के मद्देनजर "सी" श्रेणी की नगर पालिका को समाप्त करना और ग्राम पंचायत को अस्तित्व में लाना कोई ऐसा प्रतिगामी कदम नहीं है जिसे देखा जाए। नीचे लाना। वास्तव में, विधानमंडल ने इस तथ्य को विधिवत मान्यता दी है कि "सी" श्रेणी की नगर पालिका को ग्राम पंचायत में परिवर्तित करना संभव है और यदि यह स्थिति है तो राज्य सरकार की कार्रवाई इस वैधानिक प्रावधान द्वारा भी समर्थित है। . इतना ही नहीं, संविधान के अनुच्छेद 40 में निहित राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में ग्राम पंचायतों को मजबूत करने पर विचार किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 40 इस प्रकार है:-

“40. ग्राम पंचायतों का संगठन।-राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों।“

(48) इस प्रकार, किसी भी दृष्टिकोण से देखें, "सी" श्रेणी की नगर पालिका को समाप्त करने और पुरानी स्थिति बहाल करने में राज्य सरकार का कार्य न केवल पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 में निहित वैधानिक प्रावधानों द्वारा समर्थित है, बल्कि यदि संविधान के अनुच्छेद 40 को भी ध्यान में रखा जाए तो वस्तु प्रशंसनीय है।

(49) उपरोक्त के मद्देनजर, हमें रिट याचिकाओं में कोई योग्यता नहीं मिली और तदनुसार, उन्हें खारिज कर दिया गया और पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया गया।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मयंक गुप्ता
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
चरखी दादरी

एक जैन

एम से पहले. जिपौल और अनीता चौधरी, जे. जे.
तारकोल *सिंह— याचिकाकर्ता*

बनाम

राज्य का राज्य *PUNJAB — उत्तरदाताओं*
CRA-D No. 2009 का 159-डीबी

17 सितंबर, 2013

भारतीय दंड संहिता, 1860 - Ss.201, 302 और 364 - परिस्थितिजन्य सबूत / संदेह का लाभ- अपीलकर्ता को अपहरण के लिए कोशिश की गई थी और उनकी बेटी और उसके प्रेमी एच - दोनों की हत्या कर दी गई नहर से - अभियोजन परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर करता है, अर्थात., अपने घर से अपीलकर्ता की अनुपस्थिति, अपीलकर्ता को स्वीकार करने से इनकार करना उनकी बेटी का शव, उनके अंतिम संस्कार और प्रकटीकरण में शामिल नहीं हुआ और कप्पा और ट्रैक्टर ट्रॉली की वसूली - हालांकि, पुलिस विफल रही किसी भी सबूत को इकट्ठा करने के लिए जिसने वास्तव में अपहरण के बारे में शिकायतकर्ता के परिवार को जानकारी प्रदान की थी, हालांकि शिकायतकर्ता के बेटे के मोबाइल फोन पर एक कॉल किया गया था - हेल्ड, हालांकि ऊपर परिस्थितियों ने अपीलकर्ता के प्रति संदेह की सुई को इंगित किया, अभियोजन महत्वपूर्ण परिस्थितियों को लाने में विफल रहा था और वहाँ था अभियुक्तों के अपराध को

स्थापित करने के लिए उनके द्वारा स्थापित परिस्थितियों में कोई लिंक नहीं उचित संदेह से परे - अपीलकर्ता को दिए गए संदेह का लाभ -एप्पेलेंट को बरी कर दिया गया.

हेल्ड, कि पुलिस किसी भी सबूत को इकट्ठा करने में विफल रही कि कौन है वास्तव में शिकायतकर्ता के परिवार को जानकारी प्रदान की थी